Conversion of LPT at Bharuch into HPT

1524. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to convert the Low Power Transmitter of Bharuch into High Power Transmitter to provide better TV coverage in the areas.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether conversion work has started at the site; and

(d) if so, the details thereof; and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) No, Sir.

(b) to (d) While parts of Bharuch district already received TV service from the existing Low Power TV transmitter (LPT) at Bharuch, TV service in the area would be further strengthen on commissioning of the High Power TV transmitters (HPTs) envisaged to be set up at Surat and Vadodra, subject to availability of resources and other infrastructural facilities.

डिश एन्टीना के उपयोग हेतु लाइसेंस जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश

1525. **श्री अजीत जोगी:**
श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिश एन्टीना के उपयोग के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सूदूर ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में डिश एन्टीना के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की उदारीकरण नीति का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Doordarshan dues to various organisations

1526. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Doordarshan is yet to receive Rs. 30 crore from various parties and that the Doordarshan has sought Ministry of Law's help to recover the said amount;

(b) if so, whether any legal proceeding against the defaulters has been initiated;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what are the companies which stand as defaulters in the books of Doordarshan as on date?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Action to initiate legal proceedings against some of the defaulters has already been undertaken.

(d) The major defaulters having dues of Rs. 1 crore and above as on 31.07.1997 are as under:—

1. M/s. Amitabh Bachan Corporation Ltd.
2. M/s. Drishti India (P) Limited.
3. M/s. Plus Channel.
4. M/s. Nimbus Communications.
5. M/s. Multi Channel.
6. M/s. Primetime Media Service.
7. M/s. Media Asia.
8. M/s. Sitaravision.

Number of cases taken up by Lok Adalats

1527. DR. P B. DUTTA: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) the number of cases taken up by the Lok Adalats during each of the last three years, State-wise;

(b) the number of cases settled and the number of persons convicted;

(c) the nature of offences and punishment awarded, State-wise/year-wise; and

(d) the effective steps taken/proposed to be taken to popularise the Lok Adalats particularly for settlement of disputes of tribal communities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): *Part (a) and earlier part of (b) as to the number of cases settled.*

The information is being collected from the State Legal Aid & Advice Boards/ State Legal Services Authorities and would be laid on the Table of the House when received.

Latter part of (b) regarding the number of persons convicted and part (c)

Only such of the criminal cases which are compoundable with the permission of the court are taken up by the Lok Adalat where the question of persons convicted and punishment awarded does not arise.

(d) Efforts are being made to organise more and more Lok Adalats at a less interval with adequate publicity. Recently, the Law Ministers' Conference proposed holding of intensive Lok Adalats from 15.8.1997 to 15.8.1998 for speedy disposal of pending cases in civil courts all over the country which, *inter alia*, includes settlement of disputes of tribal communities.

लोक अदालतों द्वारा गृहीत मामलों की संख्या

1528. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों द्वारा गुजरात सहित गृहीत मामलों की राज्य-वार एवम् वर्ष-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) लोक अदालतों द्वारा किस-किस किस्म के मामले गृहीत किए गए; क्या इनमें से कुछ मामले न्यायालयों में लम्बित थे या इन्हें पहली बार प्राथमिक स्तर पर ही गृहीत किया गया;

(ग) निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है और कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया; और

(घ) गुजरात समेत अपराध की राज्य-वार/वर्ष-वार प्रवृत्ति और दी गई सजा क्या-क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) और (ख) और ऐसे मामलों की संख्या के बारे में, जिनका निपटारा कर दिया गया है,

भाग (ग) का पूर्वभाग राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत गुजरात राज्य विधि सहायता और सलाह बोर्ड भी हैं, से जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में (ग) का पश्चात्वर्ती भाग और भाग (घ)

लोक अदालतों द्वारा केवल ऐसे दांडिक मामलों पर, जो न्यायालय की अनुज्ञा से शमनीय हैं, कार्रवाई की जाती है; जिनमें दोषी पाए व्यक्तियों या दिए गए दंड का प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन

1529. **श्री राघवजी:** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन क्रमशः कब-कब से नहीं हुआ है;

(ख) इतने लंबे समय से निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्सीमांकन से संबंधित कार्य को प्रारंभ न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या शीघ्र ही पुनर्सीमांकन आयोग गठित किए जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और पुनर्सीमांकन कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री रमाकान्त डी० खलप): (क) लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के विद्यमान निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन परिसीमित किए गए थे।

(ख) जब तक वर्ष 2000 के पश्चात् प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक नया परिसीमन किए जाने पर एक संवैधानिक निषेधाज्ञा है।